उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

S.A.R. Appeal No.- 96/2009-10

(i) यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा आर0 पी0 केस नं0–06/2008–09 में दिनांक 10.09.2009 को पारित आदेश के खिलाफ है।

(ii) अपीलार्थी – श्री बनमाली महतो, पिता–स्व0 मदन महतो एवं अन्य–6, सभी ग्राम–बोनडीह, थाना–कमलपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

(iii) प्रतिवादी – श्री शम्भूनाथ माझी उर्फ श्री शम्भूनाथ टुडू, पिता–स्व0 लोथो माझी, ग्राम–गेरूवाला, थाना–कमलपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

(iv) भू–वापसी हेतु भूमि का विवरण निम्नप्रकार हैः–

मौजा–औड़िया, थाना नं0–110, खाता नं0–207, प्लॉट नं0–943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952 रकवा– 1.98 एकड़।

आदेश

1. यह S.A.R. Appeal आवेदन दिनांक 17.09.2009 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा R.P. Case No.-06/2008-09 में दिनांक 10.09.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी Sri Banamali Mahato and Others द्वारा दाखिल किया गया है।

2. अपीलार्थी बनमाली महतो द्वारा दिनांक 22.10.2009 को दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

3. अपलार्थी श्री बनमाली महतो द्वारा दिनांक 16.07.2015 को दाखिल आवेदन के साथ अपीलार्थी नं0–(2) बुद्धेश्वर महतो का मृत्यु दिनांक 24.10.2014 हो जाने संबंधी मृत्यु प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी बनमाली महतो द्वारा दिनांक 17.12.2015 को दाखिल written argument का अवलोकन किया।

5. निम्न न्यायालय में आवेदक/प्रतिवादी शंभू नाथ माझी उर्फ शंभू नाथ टुडू के द्वारा दिनांक 27.05.2008 को दाखिल आवेदन का अवलोकन किया।

6. निम्न न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–2141 दिनांक 16.09.2008 के निदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक–588, दिनांक 19.09.2008 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

7. निम्न न्यायालय अभिलेख में विपक्षी/अपीलार्थी बनमाली महतो एवं अन्य द्वारा दिनांक 08.11.2008 को समर्पित कारण–पृच्छा का अवलोकन किया।

8. निम्न न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध W.P.(C) No.-4789 of 2009 में दिनांक 2/15.10.2009 को पारित ओदश का अवलोकन किया।

9. निम्न न्यायालय अभिलेख में विपक्षी/अपीलार्थी बनमाली महतो एवं अन्य द्वारा दिनांक 27.08.2009 को समर्पित कागजातों का अवलोकन किया।

10. अपील आवेदन के कंडिका (1) में जिक्र किया गया है कि "A report of C.O. Patamda was called for who submitted his report stating inter-

24/5/2016

alia that although the Khatian with respect to the land in question was opened in the names of Jhumi Majhi and Ramesh Majhi both s/o. Late Barsa Majhi (Santhal), Raiyats according to Register-II for the same land are (i) Golak Mahato and Chandra Mohan Mahato s/o. Late Kisto Mahto and (ii) Madan Mahato and Kripa Sindhu Mahato s/o. Late Jairam Mahato. At the time of commencement of the Survey Registered -II raiyats filed T.S.No. 12/1958 (later on numbered as 12/7 of 1958) against Jhumi Majhi and Ramesh Majhi. Which was decreed on contest and there is commissioner's report demarcating the land. Thereafter the land was mutated in Mutation case No. 94/1977-78 and 477/89-90 in persuance of aforesaid decree in Title suit and Execution of the same in Execution Case No. 42/1962. As such he has never recommended for initiating any proceeding." अपील आवेदन के कंडिका (2) में जिक्र किया गया है कि "That on being noticed to show cause the appellants filed their show cause alongwith their copies of the documents. Their case in short is that the case is not maintainable, barred by limitation and the land in proceeding never belongs to any member of Schedule Tribe. The land was previously belonging to ex-landlord and which was reclaimed by the ancestors of the appellants. Ex-landlord settled the same and was realising the rent thereof from tham. It was part of C.S. Plot No. 71 of Mouza: Oriya with which the respondent/applicant or his ancestors had no concern whatsoever. The appellants ancestors obtained contest decree in T.S. No. 12/7/18 of 1958/60-61 from the court of IInd Addl. Munsiff, Jamshedpur. During the suit Pleader Commissioner was appointed who demarcated the land. Thereafter, in Execution Case: No. 104/1961 possession was given to ancestors of the appellants. After the survey the ancestors of the appellants filed Title Suit 1458/1968 which also was decreed. No appeal was preferred against decree in said two suits by the ancestors of the respondent. On the basis of said Civil Court Decree and after enquiry on the spot lands were mutated in the favour of the appellant in Mutation case No. 94/1977-78 and 477/1989-90."

11. निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.09.2012 को भू वापसी वाद संख्या 06/2008–09 में पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है कि "उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, विपक्षीगण की ओर से समर्पित लिखित कारण पृच्छा, अंचल अधिकारी, पटमदा के जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में जुमी माँझी, रमेश माँझी, पिता–वारिस माँझी तथा जमाबंदी रैयत गोलक महतो, मोहन महतो, पिता–किस्टो महतो, मदन महतो, कृपा सिन्धु महतो, पिता–जयराम महतो के नाम कायम है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में टाईटल सूट सं0 12/58 दायर किया गया था जिसमें सुलहनामा के आधार पर डिक्री प्राप्त की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के AIR 1970 page no.406 में उल्लेखित है कि "A

24/5/16

constant decree, according to the decision of this court does not operate as Res-judicata because a consent decree is merely the record of a contract between the parties to a suit, to which is super added the seal of the court. A matter in contest in a suit may operate as Res-judicata only if there is an adjudication by the court. The term of 11 of the code leave no scope for a contrary view" माननीय उच्च न्यायालय के L.P.A 1305/01 में यह ruling दी गई है कि contravention is not cured despite the compromise agreement before a court of law subsequent agreement between the parties may not be a fraud on the court.स्वत्व वाद मे समझौते के आधार पर पारित किया गया आदेश अमान्य है। माननीय उच्च न्यायालय के C.W.J.C no. 1412/1983(R) PLJR 2004, page no. 787 का Ruling जिसमें compromise decree passed by civil court declaring title and possession of a party who is not a member of of scheduled tribe in respect of land of recorded raiyat belonging to member of S.T cannot be given effect to and such decree will amount to dispossessing the raiyat by fraudulent method. एवं माननीय उच्च न्यायालय के C.W.J.C no. 224/01 JLJR 2004 (3) में पारित Ruling में भी उल्लेख किया गया है कि "Right Title and interest of settle not adjudicated in the compromise petition-such compromise decree will not be a ground for dismissing the restoration proceeding as time barred by the principles of estoppel and Res-judicata". स्वत्व वाद में किसी आदिवासी रैयत का जमीन का स्वत्व, भोग, दखल, कब्जा, समझौता के आधार पर बने डिक्री प्रभावित नहीं होता है। अतः यह वाद स्वत्व वाद (T.S) से किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होगा। विपक्षीगण जो कि गैर आदिवासी है, बिना किसी वैध हस्तान्तरण के प्रश्नगत भूमि पर काबिज दाखिल है। जहाँ तक इस वाद के कालबाधित होने का प्रश्न है, वस्तुतः धारा 71(A) में भूमि वापसी का व्यापक दायरा दिया हुआ है जिसके अनुसार यदि किसी भी समय उपायुक्त के ध्यान में यह आवे कि धारा 46 या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या किसी भी कपटपूर्ण विधि से किसी आदिवासी रैयत की भूमि का अंतरण हुआ है तो भूमि वापसी की कार्रवाई की जा सकती है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मेरा स्पष्ट अभिमत है कि इस वाद में छो0 का0 अधि0 की धारा 71(A) आकर्षित होती है, चूँकि इसमें छो0 का0 अधि0 की धारा 46 का उल्लंघन हुआ है। अतः उक्त धारा के तहत आदेश पारित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि से विपक्षीगण को हटाकर उसका दखल–कब्जा खतियानी रैयत के जीवित उत्तराधिकारी को वापस दिलाया जाय।"

12. निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचलाधिकारी, पटमदा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि 1964 हाल सर्वे खतियानी रैयत आदिवासी (अ0ज0जा0) है। दखलकर्त्ता गैर आदिवासी है। दखलकर्त्ता एवं उनके दादा एवं पिता को Title Suit No.-12/1958 के द्वारा विवादित भूमि पर डिग्री प्राप्त है एवं दो बार नामांतरण मुकदमा सं0–94/77–78 एवं 477/89–90 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत है। चुँकि अंचल कार्यालय में दो बार नामान्तरण स्वीकृत है, लगान रसीद भी कट रहा है अतः वाद के लिए स्वयं निर्णय लिया जाय।

13. टाईटल सूट नं0 12/1958 में किस्टो महतो, पिता–स्व0 खेतु महतो

24/5/16

.... plaintiff -Vrs.- (1) Ramesh Majhi (2) Puran Majhi (2) (a) Lathi Majhi (2) (b) Chandra Majhi, (2) (c) Jyoti Majhi, (2)(d) Sujan Majhi, (2) (e) Rani Majhiyan, (3) Bhola Nath Mahato, (4) Bihari Mahato, (5) Nitai Mahato (6) Binoda Mahato, (7) Brihaspati Mahato, (8) Minor Bhoss Mahato में प्रतिनियुक्त Pleader Commissioner द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

14. अभिलेख में उपलब्ध टाईटिल सूट नं0–12/7/18 of 1958/60–61 किस्टो महतो, पिता–स्व0 खेतु महतो .... plaintiff -Vrs.- (1) Ramesh Majhi (2) Puran Majhi (2) (a) Lathi Majhi (2) (b) Chandra Majhi, (2) (c) Jyoti Majhi, (2)(d) Sujan Majhi, (2) (e) Rani Majhiyan, (3) Bhola Nath Mahato, (4) Bihari Mahato, (5) Nitai Mahato (6) Binoda Mahato, (7) Brihaspati Mahato, (8) Minor Bhoss Mahato में 2nd Addl. Munsuf, Jamshedpur के द्वारा दिनांक 20.05.61 को पारित आदेश में plaintiff के पक्ष में on contest title declare किया गया है।

15. टाईटिल सूट नं0–1458/18 of 1966–69 (1) गोलक बिहारी महतो, (2) चन्द्र मोहन महतो, पिता–स्व0 किष्टो महतो (3) मदन मोहन महतो, (4) कृपा सिंधु महतो पिता–स्व0 जयराम महतो, ग्राम–औड़ेया, थाना–पटमदा, जिला–पूर्वी सिंहभूम – बनाम – (1) रमेश माझी, (2) लोथा माझी, (3) चन्द्र माझी, (4) ज्योति माझी, (5) सुजान माझी, (6) रानी माझीयान, ग्राम–गेरूवाला, टोला बड़डीह, थाना पटमदा, जिला–पूर्वी सिंहभूम में मुंसफ न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 05.08.69 को पारित आदेश में उल्लेखित है कि This suit coming on this 2nd day of august 1969 for final disposal before Sri R.C. Jain, Addl. Munsif, Jamshedpur in the presence of Sri K.C. Mishra, Advocate, for the plaintiff and of none for the defendant it is ordered and decreed that this suit be and the same is hereby decreed Expartee, without contest. The title of the plaintiffs upon the suit lands is declared and survey entties in respect of the suit land are declared to be wrong and erroneous.

16. उपरोक्त तथ्यों के आलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। दखलकर्ता प्रतिवादी गैर आदिवासी है। प्रतिवादी के पक्ष में उनके दादा एवं पिता को टाईटल सूट 12/98 के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर डिक्री प्राप्त है एवं नामान्तरण भी स्वीकृत है। लगान रशीद भी कट रहा है। अतः अपील आवेदन स्वीकार करते हुये निम्न न्यायालय द्वारा आर0पी0 केस नं0 06/2008–09 में दिनांक 10.09.2009 को पारित प्रश्नगत आदेश को खारिज किया जाता है एवं इस मामला को निम्न न्यायालय में इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हे कि निम्न न्यायालय अपील आवेदन में अंकित बिन्दुओं के आलोक में स्वच्छ जाँच कर एवं दोनों पक्षों को सुनकर स्वच्छ आदेश पारित करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 24.05.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

24/5/16
उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

24/5/16
उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Order copy Send to LRDC Dhalbhum Vide M.N.-1315 Dt:- 15/7/16